आयोजनागत

संख्या–37/XXII(1)/2017–5(11)2011

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एंव लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग–01 **देहरादून : दिनांक 20 फरवरी, 2017**

विषय :– जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रेस क्लब, नई टिहरी के भवन निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–68/XXII/2013–5(11)2011, दिनांक 11 फरवरी, 2013 एवं संख्या–95/XXII/2015–5(11)2011, दिनांक 21 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रेस क्लब टिहरी हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आंगणन के सापेक्ष औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 94.27 लाख (रूपये चौरानवे लाख सत्ताईस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में ₹ 31.11 लाख (रूपये इकतीस लाख ग्यारह हजार मात्र) सूचना विभाग को अवमुक्त की गयी है तथा वर्तमान में प्रेस क्लब टिहरी हेतु ₹ 63.16 लाख मात्र अवमुक्त की जानी शेष है।

2– इस संबंध में आपके पत्र संख्या–39/सू.एवं.लो.स.वि.(प्रेस)41/2002, दिनांक 23 जनवरी, 2017 में किये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रेस क्लब, नई टिहरी के भवन निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु (संलग्न आई.डी.सहित) आपके निवर्तन पर अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर ज़ारी किये गये शासनादेशों में नीहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(2) उपरोक्त व्यय अनुदान संख्या–14 लेखाशीर्षक 2220–सूचना तथा प्रसार–60–अन्य–103–प्रेस सूचना सेवाये–03–उत्तराखण्ड में प्रेस क्लबों की स्थापना–00–24–वृहत निर्माण कार्य मद के आयोजनागत पक्ष हेतु अवमुक्त की गई धनराशि से किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की संतोषजनक वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने पर ही अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में विचार किया जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र सं0–272P/XXVII(5)/2017, दिनांक 14–02–2017 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद शर्मा)
सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Information (S024)

आवंटन पत्र संख्या - **26/XXII(1)/2017-5(11)2011**

अनुदान संख्या - **014**

अलोटमेंट आई डी - **S1702140085**

आवंटन पत्र दिनांक -16-Feb-2017

HOD Name - Director Information (4731)

1: **लेखा शीर्षक** 2220 - सूचना तथा प्रसार 60 - अन्य

103 - प्रेस सूचना सेवायें

03 - उत्तराखण्ड में प्रेस क्लबों की स्थापना

00 - उत्तरांचल में प्रेस क्लबों की स्थापना

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	3000000	3000000
	0	**3000000**	**3000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 3000000

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव
सूचना विभाग
उत्तराखण्ड शासन।